POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! सरकार ने जनता से वादा किया था कि हर घर तक सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। बेहतर सेवा का यह ख्वाब दिखाते हुए वर्ष 2000 में बिजली कंपनियों का गठन किया गया। यह दावा भी किया गया था कि इससे बिजली चोरी व छीजत पर लगाम लगेगी।

इस बात को 15 साल बीत गए, न तो हर घर तक सस्ती बिजली मिली और न ही बिजली छीजत और चोरी पर रोक लगी। उलटे बिजली कंपनियां 90 हजार करोड़ रुपए के घाटे में डूब गई।

आज बढ़ती महंगाई और महंगी बिजली ने आम उपभोक्ता की कमर तोड़ दी है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसके लिए काफी हद तक सरकार व बिजली कंपनियों की प्रबन्धकीय खामी जिम्मेदार है। बिजली कंपनियों के प्रबन्धन में सुधार लाने के बजाय सभी सरकारों ने बिजली तंत्र का उपयोग अपने निजी स्वार्थ और चुनावी फायदे के लिए किया।

नतीजतन डिस्कॉम के आला अफसरों पर राजनीतिक दबाव के चलते प्रबन्धन सुधारने के लिए कोई ठोस योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। जवाबदेही न होने से बिजली तंत्र में भ्रष्टाचार समाता गया।

चाहे बिजली की खरीद हो या अन्य उपकरणों या सामान की खरीद, सभी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अनदेखी के चलते विद्युत सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। उपभोक्ता अपने हकों के लिए भी हाथ मलता रहा। मसलन, मीटर खराब होने पर उसे जो छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिली।

सरकार अब 60 हजार करोड़ रुपए का बिजली कर्ज केन्द्र सरकार की उदय योजना के तहत चुकाने जा रही है। मेरा मानना है कि अगर वितरण व संचारण सुधार नहीं लाए गए और छीजत पर लगाम नहीं लगी तो यह भी पर्याप्त नहीं होगा।

पढ़े-लिखे भी विज्ञापनों के झांसे में आकर सामान खरीदते हैं!

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं संरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाने-पीने वाली चीजों के लेबलिंग नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता जताई है। क्योंकि, लोग चमकदार विज्ञापनों को देखकर उसके झांसे में आ जाते हैं। पढ़े-लिखे ग्राहक भी लेबल पर क्या लिखा है, उसे देखे बिना खाद्य वस्तुएं खरीद लेते हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एफएसएसएआई चेयरमैन आशीष बहुगुणा ने बताया कि ग्राहक 'सुरक्षित' और 'सेहतमंद' खाने में अन्तर नहीं कर पाते। जो चीज सुरक्षित है, जरूरी नहीं कि वह सेहतमंद भी हो। सेहतमंद खाने की वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लेबलिंग के नियम बदलने चाहिए।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डी.के. जैन ने कहा कि हमें 'बेस्ट बिफोर' और 'एक्सपायरी डेट' जैसे मुद्दों पर विचार करना होगा। लेबल पर 'बेस्ट बिफोर' देख कर ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। 'बेस्ट बिफोर' का मतलब क्या है? उपभोक्ता यह नहीं जानता। लेबल पर सिर्फ 'एक्सपायरी डेट' होनी चाहिए। खाने में मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान होने चाहिए।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सेहतमंद और सुरक्षित खाद्य पदार्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए बताया कि उपभोक्ता सुरक्षा बिल और भारतीय मानक बिल के संसद में पास होने पर उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार मिल सकेंगे।

बिना कनेक्शन भेजा बिजली बिल अब देना होगा हर्जाना

दौसा निवासी शंकर लाल ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया। परिवाद में बताया गया कि उसने 26 जुलाई 2008 को बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। उसे 3600 रुपए जमा कराने का नोटिस मिला। उसने यह राशि निर्धारित समय पर जमा करा दी। लेकिन राशि जमा कराने के बाद भी उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। इस दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ने उन्हें 7 मई 2012 को 7876 रुपए का बिजली का बिल भेज दिया, जबकि उसके यहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं हुआ था। मामले की सुनवाई पर जिला उपभोक्ता मंच ने आंशिक रूप से परिवाद को स्वीकार तो किया, लेकिन वसूली आदेश को निरस्त नहीं किया।

उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई। आयोग ने अपील मंजूर कर मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. की कार्रवाई को अनुचित ठहराया। आयोग ने बिना बिजली कनेक्शन के ही उपभोक्ता को बिल भेजने व उसकी वसूली की कार्रवाई को गंभीर सेवा दोष मानते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. पर 21 हजार रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही बिल की राशि 7876 रुपए के वसूली आदेश को रद्द कर दिया।

प्रदेश में आयोजित होंगी उपभोक्ता लोक अदालतें

उपभोक्ताओं को हाथों-हाथ न्याय दिलाने के मकसद प्रदेश में उपभोक्ता लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इससे राज्य आयोग और जिला मंचों में लम्बित प्रकरणों का भी जल्दी निस्तारण होगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कारगर कदम उठाने के लिए संकल्पबद्ध है। अन्तरराष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ बिजोन मिश्रा ने मिलावट की रोकथाम के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत बताई।

'कट्स' निदेशक एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सलाहकार समिति के सदस्य जॉर्ज चेरियन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आमजन को जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता जताई।

बच्चों की बनेगी स्वास्थ्य कुंडली

प्रदेशभर में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके लिए मोबाइल चिकित्सकों की टीमें लगाई जा रही हैं। इसमें डेढ़ माह से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों की स्वास्थ्य कुंडली बनाई जाएगी।

बच्चों में बीमारी मिलने पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनका इलाज कराया जाएगा। किसी बच्चे में गंभीर बीमारी मिलने पर उसकी जांच व इलाज के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इस कार्य की शुरुआत कर दी गई है।

जैविक खेती को बढ़ावा दें किसान

कृषि व पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि किसान नई तकनीक अपना कर कम पानी व कम लागत में भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए किसानों को कम पानी से होने वाली फसलों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने बस्सी के ढिंढोल स्थित एक्सीलेंस सेंटर पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि किसान ग्रीन हाउस, पॉली हाउस व नेट हाउस से खेती कर कम लागत में अधिक उत्पादन कर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने बस्सी स्थित कृषि उपज व टमाटर मण्डी को एक माह में स्वतंत्र मण्डी घोषित करने का आश्वासन भी दिया।

स्वच्छ भारत में राज्य प्रथम

देश में खुले में शौच से मुक्त किए जाने के अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में करीब 14 लाख 50 हजार शौचालयों का निर्माण हो चुका है। हालांकि, राजस्थान में अभी भी 60 लाख परिवारों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा जाना बाकी है।

राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 10 लाख 50 हजार शौचालय बनाए गए हैं। गौरतलब है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है।

भामाशाह योजना से ही मिलेगा फायदा

अब 154 सरकारी योजनाओं का फायदा भामाशाह प्लेटफॉर्म के जरिये ही दिया जाएगा। ऐसे में सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थियों, पेंशनधारियों, राशन कार्डधारियों व मनरेगा के जॉब कार्डधारियों को भामाशाह प्लेटफॉर्म में सीडिंग कराना जरूरी हो गया है। ई-मित्र व ग्राहक सेवा केन्द्रों पर सीडिंग कराई जा सकेगी।

भामाशाह योजना वित्तीय सशक्तिकरण • महिला सशक्तिकरण

सीडिंग के लिए भामाशाह कार्ड संख्या, बैंक खाता नंबर, व संबंधित योजना का कार्ड नंबर आपस में जोड़ना है। ताकि भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ने के बाद योजनाओं का फायदा सीधा संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में राशि जमा होकर मिल जाए।

लागू होगी नई फसल बीमा योजना

केन्द्र सरकार किसानों के हित में अगली खरीफ फसल से नई फसल बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इसमें किसानों को कम से कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। फसल बर्बादी पर किसान को तुरंत 25 फीसदी राशि व 30 से 45 दिन में पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

यह जानकारी केन्द्रीय कृषि व कृषक कल्याण राज्यमंत्री मोहन कुंडारिया ने देते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों को 48-60 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन नई पॉलिसी में कम से कम भुगतान करना होगा। इसका भार केन्द्र व राज्य सरकार मिल कर उठाएगी।

ताकतवर बनेगा महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग को और ताकतवर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन की तैयारी कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार महिला आयोग को दीवानी अदालत का अधिकार देने की योजना बनाई जा रही है। संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद महिला आयोग का दर्जा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बराबर हो जाएगा। इससे आयोग को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में किसी को गिरफ्तार करने, जांच करने, समन जारी करने और दंडित करने का अधिकार मिल जाएगा।

फर्जी दस्तावेजों में फंसे हजारों सरपंच

पंचायतीराज चुनावों में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के सहारे बने सरपंच अब जांच से बचने के लिए गलियां ढूंढ रहे हैं। प्रदेशभर में एक हजार से ज्यादा सरपंचों की शिकायतों की जांच में 920 से ज्यादा सरपंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें से अब तक 32 की गिरफ्तारी और 45 का निलम्बन हो चुका है। सभी जिलों के कुल 524 मामले पंचायतीराज मुख्यालय में जांच के लिए लम्बित हैं। इसके अलावा संभागीय आयुक्त कार्यालयों में भी मामले जांच के दायरे में हैं।

जांच से घबराए कई सरपंच अब जांच को अटकाने में लगे हैं। रोड़ा अटकाने में सबसे ज्यादा कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। वहीं कई राजनीतिक पार्टियों के सांसद और विधायक दबाव बढ़ा कर जांच को लम्बित करने के प्रयासों में लगे हैं।

बिजली कंपनियों का कुप्रबंधन

बिजली कंपनियों ने फिर बिजली की दरें बढ़ाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है। नियामक आयोग भी उपभोक्ताओं के बजाय कंपनियों के पक्ष में फैसला देता है। क्योंकि, उपभोक्ता आज भी संगठित नहीं हैं, अतः उसके विरोध का कोई मायना नहीं रहता।

कंपनियां छीजत और बिजली चोरी रोकने में विफल है। कंपनियों का जो घाटा बढ़ता जा रहा है, वह क्या इनके कुप्रबंधन के कारण नहीं है? उनकी गलतियों को छिपाकर ईमानदार उपभोक्ताओं पर भार का ठीकरा फोड़ना कहां तक न्यायसंगत है। राकेश कुमार भारद्वाज, जयपुर

एएनएम देंगी योजनाओं की जानकारी

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सभी एएनएम को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आरोग्य राजस्थान अभियान के बारे में अपने क्षेत्र में जन-जन तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने प्रदेश की सभी एएनएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक गर्भवती माता को पूर्ण जांच ओर प्रसव पूर्व सेवाएं सुगमता से सुलभ होनी चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करा कर ही माताओं और शिशुओं को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 15 फरवरी के बाद राज्य स्तरीय आकस्मिक जांच दल भिजवाकर एएनएम के आरसीएच रजिस्टर की जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

'पालनहार' ने की बच्चों की नैया पार

विधवाओं, परित्यक्ताओं के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के अच्छे दिन आने की उम्मीद है। क्योंकि, तीन सालों से अटकी हुई पालनहार योजना का पैसा बच्चों को मिलने लगा है। योजना में प्रदेशभर में करीब एक लाख 50 हजार बच्चों के आवेदन हैं। इनमें से 25 हजार बच्चों को योजना के तहत सहायता राशि दी जा चुकी है। आवेदकों को कई महीनों का भुगतान अब एक साथ मिल रहा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस माह में सभी बच्चों के खातों में सहायता राशि पहुंच जाएगी। योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पांच साल के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह व स्कूल में प्रवेश के बाद एक हजार रुपए प्रति माह व साल में एक बार दो हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर